



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

DEFENCE R&D ORGANISATION

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1004

मद/For Item : 24 तरह के रबड सीलिंग रिंग्स/Rubber Sealing Rings-24 Types

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स बी.पी.इंजिनियर्स (प्राईवेट) लिमिटेड, जी-6 मुरली भवन, 10-ए अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 द्वारा उत्पादित "रबड सीलिंग रिंग्स(24 तरह)" (परिशिष्ट 'बी' पार्ट संख्याओं को दिखाया है) जो कि बीपी-वी-50 रबड कम्पाऊंड(टीए सं.859) से विकसित हुआ है, आरेखन संख्या(परिशिष्ट 'बी' देखें) के अनुसार, मिग वायुयान के हैड्रालिक सिस्टम के ए) हैड्रालिक पंप(एनपी70एएम3), बी) स्टेबिलाइज़र बूस्टर(बीयू170एल और बीयू190एल) में काम आता है, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे एच ए एल लखनऊ प्रभाग, लखनऊ में आर.सी.एम.ए(लखनऊ), 226016 के समन्वय से टेस्ट विनिर्देश संख्या टीएस/आईएनडी/एसएस/बीपी-वी/50/एच/बीपीई इश्यू 2 दिनांक 2.12.99 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "वर्गरिकार्ड कंफ्लाएन्स स्टेटमेन्ट" में विवरित विवरण/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया है।

This is to certify that the "Sealing Rings (24 Types)", (Part Nos. indicated in Appendix 'B') developed from BP-V-50 rubber Compound (TA No.859) and manufactured by M/s B.P Engineers(Pvt.) Limited, G-6 Murli Bhawan, 10-A Ashok Marg, Lucknow-226001 are hereby approved for production as per drawing Nos.(Refer Appendix 'B') for use in a) Hydraulic Pump (N70AM3), (b) Stabilizer Booster (BU170L and BU190L) for Hydraulic System of MiG-27 aircraft. These have been tested to Test schedule No.TS/IND/SS/BP-V-50/H/BPE, issue 2, dated 2.12.99 at HAL Lucknow Division, Lucknow in co-ordination with RCMA (Lucknowt), 226 016 These met the requirements of specification/tests, as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है ।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by **DGAQA**, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2008 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(लखनऊ) से अनुरोध करना होगा ।

This Type Approval is valid up to 30th Jun 2008 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Lucknow), for subsequent renewal three months before the expiry of type approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी ।

Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification, (CEMILAC) Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record enclosed are effected.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट'-ए', /Appendix-'A',B

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1004

दिनांक/Date : 12th जुलाई / 2003

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)

9/10/03